

पर्वी डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 327/2025

1. बलवीरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
वादी
1. हरिसिंह पुत्र संतासिंह पुत्र लालसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
बनाम
प्रतिवादी


डिक्री

दिनांक... 31/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैल सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 1 एसबीएन के खाता सं० 188/156 में अंकित कुल 1.6190 है० आराजी मे से 1.012 है० आराजी वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।